

हैरिटेज संरक्षण समिति

HERITAGE CONSERVATION COMMITTEE

भारत पर्यावास केन्द्र, कोर-6ए यूजी एवं प्रथम तल

INDIA HABITAT CENTRE, CORE 6A, UG & FIRST FLOOR लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

No: 47(89)/RTI Cell/Appeal/2021

Delhi Urban Art Commission, Core 6A, Upper Ground Floor, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi-110003.

Dated: January 28, 2022

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

An Appeal RTI Appeal no: NIL dated 03.01.2022 filed by श्री वीरेंदर कुमार, ए-1,/650, सैक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली-110085 (received in this office on 04.01.2022) against the decision dated 31.12.2021 given by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC, New Delhi.

On an *RTI* application filed by Shri Virender Kumar under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005. In exercise of the powers, conferred upon the Appellate Authority by Section 19(6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following order:

- Shri Virender Kumar has filed an RTI application dated 29.11.2021 (received in this office on 01.12.2021) under the Right to information Act, 2005 seeking the following information:
 - "1. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।
 - 2. नॉर्थ म्यूनिसिपल कापीरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उतरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सग्सन कराकर नई बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।

 - मार्थ म्यूनिसिपल कापरिशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नौटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोइकर उतरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सग्सन कराकर नई बिल्डिंग बनाता हैं तो क्या उतरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सेगसन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलीगल है लिखित में जानकारी दी जाए।
 - 5. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेता है तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।
 - 6. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उतरी दिल्ली नगर बिल्डिंग प्लान सेगसन कर 'सकता है' या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।"
 - a. Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC vide letter no: 47(89)/2021-RTI Cell dated 31.12.2021 had given the following reply within the stipulated time limit:
 - UBBL, 2016 (अनुलग्नक-1) के संदर्भ में, सभी gazette notified इमारतों को कोई भी कार्य जो कि निर्माण से संबन्धित हैं, को करने से पहले HCC से अनुमति की आवशयकता है।
 - 2 to 6: जिस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में यह विरासत संपति आती हैं वह प्राधिकरण किसी भी अनिधिकृत निर्माण के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकता हैं."
 - b. Since Shri Virender Kumar was not satisfied with the reply given by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO related to the query of his RTI application dated 29.11.2021 (received in this office on 01.12.2021), he has filed an appeal dated 03.01.2022 (received in this office on 04.01.2022) before the Appellate Authority.

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

- The original application of the applicant and the reply from CPIO has been carefully examined from the concerned RTI file. I am
 of the opinion that the information provided by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO is in order.
- 2. The appeal stands disposed of.

Date: 28 · 1 · 20 22

Place: New Delhi

(Ruby Kaushal) Secretary & First Appellate Authority

To,

श्री वीरेंदर कुमार, ए-1,/650, सैक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली-110085

Copy to: Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC.

दूरभाष PHONE : 24619593, 24618607, 24690821, फैक्स FAX : 24648970 ई-मेल Email : membersecyhcc@gmail.com, membersecyhcc-duac@gov.in